


अनुसूची -14 फॉर्म संख्या-562

आदेश का विवरण	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	<p>एल0 सी0 वाद सं0 : 40/2009-10 86/2008-09 (सोमर हज्जाम बनाम अरुणा देवी वो अन्य)</p> <p>आदेश</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। न्यायालय के द्वारा दिए गए विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिए गए बारंबार आदेश दिए जाने तथा नोटिश निर्गत किए जाने के बावजूद भी न्यायालय कार्यवाही से अनुपस्थित रहने तथा रुचि नहीं लिए जाने के कारण आवेदक पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिए तर्क की एकपक्षीय सुनवाई की गई।</p> <p>The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling area and acquisition of surplus Land) Bihar Act XII of 1962 के नियम 16(3)(1) के अंतर्गत Pre-emption Rights हेतु आवेदक श्री सोमर हज्जाम, पेशर : स्व0 झरी हज्जाम साकिन : धरचौंची , थाना : जमुआ के द्वारा दायर किए गए इस वाद अभिलेख में निहित भूमि , मौजा : धरचौंची के खातान0 09 अंतर्गत खेसरान0 675 के खरीदगी रकबा 0.24 ए0 के संबंध में विज्ञ अधिवक्ता आवेदक पक्ष के द्वारा तर्क दिया गया कि विपक्षी सं0-2 अर्थात् श्रीमती अरुणा देवी, पति श्री सहदेव सिंह के नाम से निष्पादित निबंधित बिक्री विलेख सं0 337 दि0 25.01.2008 के रिसाईटल में भूमि की जो चौहद्दी दी गई है , उसके अनुसार दक्षिण में आवेदक पक्ष की भूमि का उल्लेख प्राप्त है और इस दृष्टिकोण से वे वादगत भूमि के Adjoining Raiyat हैं। भूमि का किस्म : खेत है तथा आवेदक के द्वारा Rule-19 का अनुपालन किया गया है। विज्ञ अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि विपक्षी सं. 1 तथा 2 दोनों ही भिन्न जाति के सदस्य हैं । इस दृष्टिकोण से वे वादगत भूमि के अंशधारक(Co-sharer) नहीं हो सकते । वादगत भूमि के आसपास अर्थात् समीपवर्ती सटे क्षेत्र में कोई भी भूमि उन्हें उपलब्ध नहीं है । इस दृष्टिकोण से Adjoining Raiyat का दावा भी उनके द्वारा नहीं किया जा सकता । विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार अधिनियम के आलोक में विपक्षी का पक्ष नहीं स्थापित होने के कारण ही वे लगातार अनुपस्थित रहकर न्यायालय की कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न किये हुए हैं । अन्त में उपर्युक्त तर्क के आधार पर ही आवेदक पक्ष के दावा को स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया ।</p>	

	<p>उर्पयुक्त आलोक में यह स्पष्ट है कि वादगत भूमि से सटे आवेदक के पास Adjoining land उपलब्ध है और इस आधार पर आवेदक पक्ष Pre-emption Rights का लाभ दिये जाने के हकदार प्रतीत होते हैं । अतः आवेदक के द्वारा अधिनियम की धारा 16(3) के अंतर्गत Pre-emption Rights संबंधि दिए गए आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। विपक्षी सं. 2 को यह आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के दो माह के भीतर वादगत भूमि के निबंधन की कार्रवाई आवेदक के नाम से निष्पादित करें अन्यथा यह कार्रवाई न्यायालय के स्तर से की जायेगी । पारित आदेश से उभयपक्ष को अवगत कराया जाए।</p> <p style="text-align: center;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गिरिडीह। </p>	
--	--	--

१. वादगत भूमि से सटे आवेदक पक्ष के द्वारा
 विपक्षी सं. 2 के आवेदन को स्वीकृत किया गया है।
 २. वादगत भूमि के निबंधन की कार्रवाई आवेदक के नाम से
 निष्पादित किया जायेगा।
 ३. विपक्षी सं. 2 के द्वारा पक्षी सं. 1 के आवेदन पर
 पक्षी सं. 1 के द्वारा विपक्षी सं. 2 के आवेदन पर
 विपक्षी सं. 2 के आवेदन पर पक्षी सं. 1 के आवेदन पर
 ४. वादगत भूमि के निबंधन की कार्रवाई आवेदक के नाम से
 निष्पादित किया जायेगा।